राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प.4(209) वित्त–1(1)आ.व्यय / 2016 / जयपुर, दिनांक : 06/10/17

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या –335/ 2017–18)

विषयः–राज्य वित्त आयोग पंचम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ 165(7) ले.ब. / पराविं / एस.एफ.सी.–पंचम / 2017–18 / 5774 दिनांक 22.08.2017 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 16 / 17–18) एवं समसंख्यक प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 6136 दिनांक 11.09.2017 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तो के अनुसार राशि रू. **32904.80** लाख (अक्षरे राशि रू. तीन सौ उन्नतीस करोड़ चार लाख अस्सी हजार मात्र) निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदो / पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे:–

–:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :–

बजट मद
2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196 –जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(04)–राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता

(राशि लाखों में)

मांग सं. 41 [02]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	मांग सं. 30 [03]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	मांग सं. 51 [04]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	योग
4507.96	**888.43**	**1184.57**	**6580.96**

बजट मद
2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
197 –ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(05)–राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान

(राशि लाखों में)

मांग सं. 41 [02]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	मांग सं. 30 [03]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	मांग सं. 51 [04]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	योग
18031.83	**3553.72**	**4738.29**	**26323.84**
		कुल योग	**32904.80**

(अक्षरे राशि रू. तीन सौ उन्नतीस करोड़ चार लाख अस्सी हजार मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद / पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं राज्य निधि दर्शाते हुए अंकित किया जावें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चो के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा तथा राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम / नियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग ।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)